नीलामी सूचना
कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

जनपद न्यायालय मेरठ के कम्प्यूटर अनुभाग मे काफी मात्रा में खाली कार्टेज की नीलामी दिनांक 19-07-2024 को सायं 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 2,000-00 रुपये रुपये प्रति बोलीदाता की दर से नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो को, धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 19.07.2024 को समय दोपहर 11:00 बजे तक करानी होगी। प्रथम 3 उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली की स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश महोदय मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी। उसे बकाया धनराशि अंदर तीन दिवस में नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी। नीलामी की सभी शर्ते नजारत अनुभाग में कार्य दिवस में केंन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ
3. नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ
4. नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
5. कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय के बेवसाईड व जनपद न्यायालय मेरठ की बेवसाईड पर अपलोड करने हेतू
6. समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु

(श्री राजमंगल सिंह यादव)
नोडल अधिकारी / अपर जिला न्यायाधीश,न्यायालय सं0–12, मेरठ ।

(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति / अपर जिला न्यायाधीश,न्यायालय सं0–09, मेरठ ।

(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति / विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट मेरठ ।

(चन्द्र प्रकाश तिवारी-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति / अपर जिला न्यायाधीश,न्यायालय सं0–01, मेरठ ।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

जनपद न्यायालय, मेरठ के कम्प्यूटर अनुभाग मे खाली कार्टेज की नीलामी हेतु शर्तें

1. उक्त बोली खुली बोली पद्धति के अनुसार होगी अर्थात् जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली होगी उसके नाम पर छोड़ी जायेगी।
2. नीलामी, जनपद न्यायालय, मेरठ के चौदह न्यायालय भवन के मीटिंग हॉल में दिनांक 19.7.2024 को समय 04:00 बजे अपराहन नीलाम समिति के समक्ष की जायेगी।
3. नीलाम प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत के तौर पर अंकन 2,000–00 रू0 की धनराशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में तैयार कराकर बोली से पूर्व कैशियर, सिविल कोर्ट के पास जमा करना होगा।
4. प्रथम तीन उच्चतम बोलीदाताओं को छोडकर अन्य बोलीदाताओं द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि उसी ही दिन वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत/स्थगित एवं रद्द करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।
6. बोली का स्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय तक जमा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा तथा बोली स्वीकार किये जाने पर तीन दिवस के अंदर बोली की समस्त शेष धनराशि जमा करनी होगी।
7. बोली जहां है के आधार पर दी जाती है इसमें खाली कार्टेज को उठवाना तथा ले जाना आदि के समस्त प्रबंध की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
8. खाली कार्टेज को तेरह न्यायालय भवन में स्थित कम्प्यूटर अनुभाग में जो भी इच्छुक व्यक्ति देखना चाहे वह सिस्टम अधिकारी के माध्यम से कार्यालय समय में देख सकते है।

(श्री राजेमंगल सिंह यादव)
नोडल अधिकारी /अपर जिला न्यायाधीश,न्यायालय सं0–12, मेरठ ।

(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति/अपर जिला न्यायाधीश,न्यायालय सं0–09, मेरठ ।

(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट मेरठ ।

(चन्द्र प्रकाश तिवारी-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/अपर जिला न्यायाधीश,न्यायालय सं0–01, मेरठ ।